1974 में शिया–सुन्नी विवाद पर सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों की स्वीकृति

पी॰ के॰ कौल,
आयुक्त एवं सचिव गृह

डी॰ आई॰ न॰ 20 (50)एम / 1974 (बी)
उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–11
दिनांक, लखनऊ 5, अक्टूबर 1974

कृप्या शिया सुन्नी पैनल पर नामित होने हेतु नामों को प्रस्ताव करते हुए, उपायुक्त, लखनऊ को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 20 सितम्बर 1974 का सन्दर्भ लें। आपके पत्र के प्रकाश में, तीन सदस्यों के शिया सुन्नी पैनल (समिति) पर कार्यरत होने को सैयद अली ज़हीर को नामित किया गया था। हज़रत मौलाना सैयद अहमद हाशमी, संसद सदस्य को भी सुन्नियों की ओर से नामित किया गया था। दोनों पक्षों की सहमति से नामित तीसरी सदस्या श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, विधानसभा सदस्या थीं। लखनऊ में शियों और सुन्नियों के बीच विवाद सुलझाने का सूत्र निकालने हेतु तीन सदस्यों का शिया सुन्नी पैनल तदनुसार 21 सितम्बर 1974 को गठित किया गया था।

पैनल ने शिया और सुन्नी नेताओं द्वारा प्रस्तुत पक्षों को सुना और सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद इसने प्रदेश सरकार से निम्न सिफारिशें की हैं:

(क) कि शियों और सुन्नियों के बीच हुई 1969 क़रार अनुबाध्य होना चाहिए किन्तु पाटानाला और पुल गुलाम हुसैन के मार्गों से गुज़रने वाले शियों के परम्परागत जुलूसों पर कुछ प्रतिबन्धों के लगाने की आवश्यक्ता है।

(ख) कि जब जुलूस पाटानाला और पुल ग़लाम हुसैन से गुज़रे तो शिया जुलूस वालों को सुन्नियों के तपाने का कारण बनने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली कोई

चीज़ नहीं करना चाहिए, और आगे, कि इन जुलूसों की संख्या, अवधि (Duration), तथा संचालन निबन्धित होंगे।

(ग) कि इन जुलूसों पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के विवरण तथा प्रणाली बद्धिताएँ (Modalities) ज़िले के प्राधिकारियों द्वारा समय–समय से स्थिति का अवलोकन के बाद निर्णय की जायेंगी और उनका निर्णय शियों और सुन्नियों पर बाध्य और स्वीकारणीय होगा।

3. तीन सदस्यों के पैनल की ऊपर वाली सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं और लखनऊ के ज़िला प्राधिकारीगण को तदनुसार कार्यवाई करने की सलाह दी जा रही है।

4. प्रदेश सरकार पैनल के तीन सदस्यों और ऐसे ही सुन्नियों और शियों के नेताओं को, इस सूत्र समाधान में दिखाए गये उनके सपरिश्रम प्रयासों और सार्वजनिक उत्सुकता के लिए जिससे लखनऊ नगर में शान्ति और सद्भाव पुनस्थापित करने का उद्देश प्राप्त हो, उसके लिए अपनी कृतज्ञता पहुँचाना चाहती है।

1. मौलाना कल्बे आबिद
2. सैयद ताहिर जरवली

आपका भवदीय
(पी॰ के॰ कौल)

(मूल अंग्रेज़ी पत्र का अनौपचारिक अनुवाद)

दिनांक 27 अप्रैल, 1998 को शिया–सुन्नी समुदाय के मध्य जुलूस निकाले जाने के सम्बन्ध में हुई बैठकों में किये गये समझौते का विवरण

दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा शान्तिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण वातावरण में लगातार कई बैठकें हुईं और यह पाया गया कि चूँकि इन पुराने विवादों के सर्वमान्य एवं अन्तिम समाधान हेतु और अधिक समय लग सकता है। शासन द्वारा प्रमुख सचिव(गृह) की अध्यक्षता में गठित समिति के साथ जिला/पुलिस प्रशासन के साथ दोनों पक्षों के साथ सर्वमान्य एवं स्थाई समाधान के लिये वार्ता प्रगति पर है, किन्तु अन्तिम निर्णय लिये जाने में अभी और समय लग सकता है। अतः अस्थाई व्यवस्था के रूप में निम्न बिन्दुओं पर आम सहमति से एक अंतरिम समझौता लागू किया जाता है:–

1– शिया समुदाय के लोग अपनी अजादारी के जुलूस शुरुआती तौर पर पहली मोहर्रम, दसवीं मोहर्रम, बीसवीं सफर (चेहल्लुम) व आखरी रबी–उल–अव्वल तथा 21 रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों के अधीन निकाल सकेंगे।

2– बारहवीं रबी–उल–अव्वल (बारावफात) पर सुन्नी समुदाय के लोग जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय तथा शर्तों के अधीन एक जुलूस निकाल सकेंगे। इस जुलूस का नाम सुन्नी समुदाय के लोग खुद निश्चित करेंगे, जिस पर किसी को एतराज नहीं होगा।

3– इसके अलावा और जुलूसों/मामलात के बारे में दोनों पक्षों से बातचीत जारी रहेगी और आम सहमति से बाद में निर्णय लिया जायेगा।

4– दोनों समुदायों के उपरोक्त जुलूसों में उभय पक्षों द्वारा कोई भी ऐसी हरकत या कार्यवाही नहीं की जायेगी, जो एक दूसरे के लिये आपत्तिजनक हो, या शान्तिभंग की संभावना बनती हो, और जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो।

5– यदि इस समझौते का सही तरीके से पालन नहीं होता है, तो शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन/राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा।

6– उपरोक्त अंतरिम समझौता दोनों समुदायों के पारम्परिक एवं विधिक हकों व हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

शिया समुदाय के प्रतिनिधिगण

1 SYED HAMIDUL HASAN

2.

3. Syed Kalbe Jawad

4. M.M. Taher

5. (JAWED MURTAZA)

सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधिगण

Saghir Husain 27-4-98

ABDUL AZEEM FARUQI

Abdul Aleem Faruqi

जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधिगण

(O.P. SINGH) SSP

SADA KANT D.M. Lucknow. 27/4/98

शिया–सुन्नी समझौता

लखनऊ में शिया तथा सुन्नी समुदायों के बीच धार्मिक जुलूसों को लेकर विवाद बहुत ही पुराना तथा जटिल था। इस विवाद का उभयपक्षों की सहमति से सर्वमान्य समाधान प्राप्त करने के लिये शिया तथा सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच लगातार अनेकों बैठकें हुईं तथा सार्थक प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 27 अप्रैल 1998 को शिया तथा सुन्नी समुदायों के मध्य आम सहमति से एक अन्तरिम समझौता कराया जा सका। इस समझौते के अनुसार शिया समुदाय के द्वारा शुरूआती तौर वर्ष 1998 तथा 1999 में अजादारी के जुलूस पहली मोहर्रम, 10वीं मोहर्रम, 20वीं सफर [चेहल्लुम] व 8वीं रबी–उल–अव्वल तथा 21–रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय व शर्तों के अधीन शान्तिपूर्वक निकाले गये।

इसी प्रकार दिनांक 27 अप्रैल 1998 के उपरोक्त समझौते के अनुसार 12वीं–रबी–उल–अव्वल [बारावफात] पर सुन्नी समुदाय को एक जुलूस निकालने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय तथा शर्तों के अधीन दी गई। समझौते के पैरा–2 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सुन्नी समुदाय द्वारा इस जुलूस का नाम "जुलूसे मदहे सहाबा" रखा गया। यह जुलूस दिनांक 8.7.98 को शान्तिपूर्ण वातावरण में निकाला गया।

दिनांक 27 अप्रैल 1998 को हुये अन्तरिम समझौते के पैरा–3 में यह व्यवस्था दी गई थी कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिये सभा और जुलूसों/मामलातों के बारे में दोनों पक्षों से बातचीत जारी रहेगी और आम सहमति से बाद में निर्णय लिया जायेगा।

DH.

दिनांक 27 अप्रैल 1998 के अन्तरिम समझौते की सफलता के पश्चात इस विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिये दोनों पक्षों से फिर लगातार बैठकें की गईं और यह प्रयास किया गया कि शिया और सुन्नी समुदायों के लोगों में प्रेम और मोहब्बत का वातावरण बनाया जा सके तथा आपसी विश्वास की भावना स्थापित की

SSP.

नहीं जा सकी। लगातार बैठकों तथा प्रयासों के पश्चात उभयपक्षों में इस विवाद के समाधान के लिये आपसी सहमति हो सकी है। अतः इस प्रकरण के समाधान हेतु उभयपक्षों द्वारा एक समझौते पर सहमति हुई। इस समझौते के अनुसार:–

1– शिया समुदाय के लोग अज़ादारी के जुलूस पहली–मोहर्रम, 7वीं मोहर्रम, 8वीं मोहर्रम, 9वीं मोहर्रम, 10वीं मोहर्रम, 20वीं सफर| चेहल्लुम | 8वीं –रबी–उल–अव्वल, 19वीं–रमजान तथा 21वीं–रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों के अधीन निकालेंगे।

2– सुन्नी समुदाय के लोग 12वीं–रबी–उल–अव्वल| बारावफात | पर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों के अधीन वर्ष 1998 की तरह अपने द्वारा घोषित जुलूस मदहे सहाबा निकालेंगे।

3– उपरोक्त जुलूसों के अतिरिक्त उभयपक्षों द्वारा कोई भी अन्य सार्वजनिक जुलूस नहीं निकाले जायेंगे, जिससे दूसरे पक्ष को आपत्ति हो, तथा शान्तिभंग की सम्भावना उत्पन्न होती हो।

4– आवश्यकतानुसार जुलूसों/मामलों के बारे में दोनों पक्षों में बातचीत जारी रहेगी और आपसी सहमति से सर्वमान्य निर्णय लिया जायेगा।

5– दोनों समुदायों के उपरोक्त जुलूसों में उभयपक्षों द्वारा कोई ऐसी हरकत या कार्यवाही नहीं की जायेगी, जो एक दूसरे के लिये आपत्तिजनक हो, या शान्तिभंग की सम्भावना बनती हो, और जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो।

6– यदि इस समझौते का सही तरीके से पालन नहीं होता है, तो शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन/ राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा। यह समझौता अगले वर्षों में भी लागू रहेगा, जबतक कि इसके स्थान पर कोई नया समझौता आम सहमति से लागू नहीं हो जाता।

इस समझौते का जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

D.M.

SSP.

यह समझौता दोनों समुदायों के पारस्परिक एवं सिविल हकों व हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

शिया समुदाय के प्रतिनिधिगण

S. Kalb Jawad

M. M. TAHIR

S. L. Hasan

M. A. Abbas

सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधिगण

(ALEE FAROOQUI)

Saghir Husain

Ghulam Husain

FAZL-E-ALAM

(RAIS ANSARI)

(AZEEN FAROOQUI)

Musharraf Husain

जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधिगण

22/4/99
(SADA KANT)
D. M. LUCKNOW.

22-4-99
(A. K. D. Dwivedi)
S. S. P., Lucknow

स्थान–लखनऊ।

दिनांक 22 अप्रैल 1999